BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

चुनाव पद्वति के गुण, दोष और सुधार

चुनाव पद्वति के गुण – भारत में 17वीं आम चुनाव(लोकसभा चुनाव) हो चुके हैं। इन आम चुनावों में आठ बार क्रमशः 1977,1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 2004, 2014 में सत्ता परविर्तन हो चुका है। उक्त वर्षो का चुनाव "मतपेटी के आधार पर सत्ता परिवर्तन" स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का परिचायक है। कुछ दोषों के बाबजूद भी भारत में प्रचलित चुनाव पद्वति के काफी गुण हैं।

चुनाव पद्वति के दोष और सुधार – चुनाव पद्वति के दोष एवं सुधार के तरीके निम्न प्रकार हैं :–

1. **चुनावों में धन की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति एवं भूमिका** – वर्ष 1983–84 के दरम्यिान मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा यह बतलाया गया कि चुनावों में धन की निरंतर बढ़ती हुई शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चुनावों में धन के व्यय का निर्धारण किया जाना नितांत आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माता के द्वारा चुनाव में उम्मीदवार के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का निर्धारित किया गया है। बड़े राज्यों में लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख तथा अन्य राज्यों व संघशासित प्रदेशों में 40 लाख निर्धारित की गयी है और विधानसभा चुनाव में 28 लाख निर्धारित किया गया है। चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर आय–व्यय की विवरणी संबंधित अधिकारी के पास प्रस्तुत करना आवश्यक है। कानून में चुनाव खर्च की सीमा विद्यमान है लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसका कोई महत्व देखने को नहीं मिल रहा है। चुनावों में धन की निरंतर बढ़ती हुई इस भूमिका के कारण ही काला धन और भ्रष्ट राजनीतिक दल एक–दूसरे के साथ जुड़ गये हैं।

(क) **राजनीतिक दलों के आय–व्यय के विवरण की जॉच** – मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रत्येक वर्ष आय–व्यय के विवरण का जॉच किया जाता है। राजनीतिक दल द्वारा इस संबंध में बरती गई अनियमितता विरूद्व चुनाव आयोग को कड़ा रूख एवं कठोर कदम उठाना चाहिए।

(ख) **संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था** – संसदीय व्यवस्था में सरकार के कार्यकाल का कोई निश्चित नहीं होता है। केन्द्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थायित्व होने के कारण साथ–साथ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है लेकिन इस संबंध में शासन और सभी राजनीतिक दलों को अवश्य प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि चुनाव में काफी धन एवं समय की बर्बादी होती है। एक साथ चुनाव कराने से धन एवं समय की बचत हो सकती है।

(ग) **चुनाव खर्च का भार पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन करना** – 14 जनवरी, 1999 को गठित इन्द्रजीत गुप्त समिति के रिर्पोट की सिफारिशों के अनुसार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाल वैध चुनाव खर्चो का बोझ धीरे धीरे राज्य को अपने ऊपर लेना चाहिए। वर्त्तमान समय में विश्व के कई देशों में(स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन) में राज्य द्वारा चुनाव का खर्च वहन किये जाने की व्यवस्था है।

2. **फर्जी मतदान** – पहले चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता था एवं मत(बैलेट पेपर) मतदान पेटी में गिराया जाता था। जिसके कारण काफी संख्या में फर्जी मतदान होता था लेकिन EVM आ जाने के बाद फर्जी मतदान की संख्या में काफी कमी आई है। अर्थात् अब फर्जी मतदान देखने को नहीं के बराबर मिलते हैं।
3. **चुनावों में बाहुबली शक्ति का प्रयोग तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा** – EVM आने के पूर्व चुनावों में बाहुबली शक्ति का प्रयोग करके मतदान केन्द्रों पर कब्जा कर लिया जाता था। लेकिन वर्त्तमान में यह सब देखने को नहीं मिल रहा है। चुनावों में बाहुबल एवं हिंसा प्रयोग करने की प्रवृति विभिन्न राज्यों में देखने को मिलते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इसे रोकने के लिए कई कठोर कदम उठाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :–

(i) संवेदनशील इलाकों में स्थानीय पुलिस बल की जगह अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की जाती है।

(ii) फर्जी मतदान को रोकने के लिए वर्ष 1993 से **फोटो युक्त पहचान–पत्र** की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 2001 के बाद सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा चुनाव में **"फोटो युक्त पहचान पत्र"** को अनिवार्य कर दिया गया। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, विभागीय पहचान पत्र, पैन कार्ड इत्यादि को शामिल किया गया।

(iii) वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव एवं वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में मत पत्रों को चिन्हित करने की व्यवस्था की जगह EVM का प्रयोग किया जाने लगा। जिससे फर्जी मतदान की संख्या में काफी कमी आयी।

(iv) फर्जी मतदान को रोकने के लिए फोटोग्राफी की व्यवस्था की गई है।

(v) चुनाव में व्यापक धांधली की शिकायत पर पूरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर पुनः कठोर व्यवस्था के साथ चुनाव क्षेत्र में पुर्नमतदान कराया जाता है। वर्ष 2004 में छपरा संसदीय क्षेत्र में पुर्नमतदान कराया गया था।

4. **चुनावों में अपराधी तत्वों की उम्मीदवारी और परिणामतया राजनीति का अपराधीकरण** – 1993–2015 के वर्षो में अपराधियों के राजनीति में प्रवेश और राजनीति के अपराधीकरण पर कई बार चर्चा हुई। सभी राजनीतिक दलों ने राजनीति में अपराधी तत्व के लोगों के प्रवेश को रोकने पर बल दिया है परन्तु वर्त्तमान समय में भी अपराधी तत्व के लोग राजनीति में व्याप्त हैं। अपराधियों के विधायी संस्थाओं में प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि "चुनाव में सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन प्रपत्र भरते समय अपनी अपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति, वित्तीय दायित्व और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित समस्त जानकारियॉ शपथ पत्र में देना अनिवार्य होगा।" लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह उपाय पूर्णरूपेण कारगर नहीं सिद्व हो रहा है। अपराधी तत्वों का न केवल प्रतिनिधि संस्थाओं में प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए वरन् उसके राजनीतिक दल की सदस्यता पर भी रोक लगनी चाहिए।

5. **निर्दलीय उम्मीदवार की अत्यधिक संख्या** – चुनाव में कभी–कभी निर्दलीय प्रत्याशी धन उगाही के उद्देश्य से नामांकन करते हैं। मतदान के पूर्व प्रमुख दल के द्वारा मोटी रकम देने के बाद, निर्दलीय उम्मीदवार या तो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं अथवा अपना मतदान उसके पक्ष में करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से 1996 में जमानत की राशि में दस गुणा वृद्वि की गई, जिससे उम्मीदवारों की संख्या आधी हो गई। इसमें अभी और भी कमी लाने की आवश्यकता है।

6. **चुनाव याचिकाओं पर निर्णय में विलम्ब** – चुनाव याचिका में काफी राशि खर्च होती है तथा विवादों का निपटारा श्रीघ्र नहीं हो पाता है। विवादों का निपटारा होते–होते निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। चुनाव याचिकाओं पर श्रीघ्र निपटारा के लिए "सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ" स्थापित की जा सकती है। ताकि चुनाव के बाद श्रीघ्र ही दायर याचिका का निर्णय हो सके। इसमें खासकर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायत एवं अत्यधिक लम्बा चुनाव कार्यक्रम एवं प्रक्रिया है। वही दूसरी तरफ चुनाव के समय लगभग तीन महीने तक समस्त शासन व्यवस्था इसी में व्यस्त रहता है जिसके कारण आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

7. **चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग की सिफारिशें** – लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धन बल एवं बाहुबल के निरन्तर बढ़ रहे प्रभाव के कारण चुनाव आयोग द्वारा "चुनाव सुधारों का प्रस्ताव" समय–समय पर दिया जाता है।

(i) चुनाव आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करके जमानत की राशि के निर्धारण का अधिकार चुनाव आयोग को दे दिया जाय। इससे बार–बार कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) दल–बदल अधिनियम के अन्तर्गत सांसदों/विधायकों को सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के बजाय चुनाव आयोग को दे दिया जाय।

(iii) चुनाव आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि एक प्रत्याशी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(iv) चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जनमत सर्वेक्षणों (Opinion Polls) तथा मतदान के बाद होने वाले सर्वेक्षणों के ऑकड़ों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(v) विभिन्न संगठनों की मॉग एवं चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर, 2013 में मतदाताओं को "नकारात्मक मतदान" का अधिकार प्रदान कर दिया। जो NOTA के रूप में जाना जाता है। अर्थात् उपर्युक्त में से कोई नहीं।